

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

फरवरी-मार्च, 2018 सत्र

(26 फरवरी, 2018 से 28 मार्च, 2018 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के बर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक
तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम (1)	प्रभारी मंत्री (2)	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक (3)	प्रश्नों की सूचना देने का अन्तिम दिनांक ऑनलाईन (4)	ऑफलाईन (5)
---------------------	-----------------------	---	---	---------------

बर्ग-1

स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री			
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री			
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री			
विधि और विधायी कार्य	— ”—			
सहकारिता	राज्यमंत्री, सहकारिता	27 फरवरी, 2018 12 मार्च, 2018 20 मार्च, 2018 27 मार्च, 2018	31 जनवरी, 2018 12 फरवरी, 2018 21 फरवरी, 2018 28 फरवरी, 2018	01 फरवरी, 2018 13 फरवरी, 2018 22 फरवरी, 2018 01 मार्च, 2018
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	— ”—			
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज्यमंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण			

बर्ग-2

सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री			
विमानन	— ”—			
आनन्द	— ”—			
जनजातीय कार्य	— ”—			
अनुसूचित जाति कल्याण	— ”—			
वित्त	वित्त मंत्री	28 फरवरी, 2018 13 मार्च, 2018 21 मार्च, 2018 28 मार्च, 2018	01 फरवरी, 2018 14 फरवरी, 2018 22 फरवरी, 2018 02 मार्च, 2018	02 फरवरी, 2018 15 फरवरी, 2018 23 फरवरी, 2018 03 मार्च, 2018
वाणिज्यिक कर	— ”—			
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री			
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री			
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	— ”—			
नर्मदा धारी विकास	राज्यमंत्री, नर्मदा धारी विकास			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बर्ग-3				
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री			
जेल	— ” —			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री			
श्रम	— ” —			
राजस्व	राजस्व मंत्री			
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	— ” —			
पशुपालन	पशुपालन मंत्री	07 मार्च, 2018	07 फरवरी, 2018	08 फरवरी, 2018
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	— ” —	14 मार्च, 2018	15 फरवरी, 2018	16 फरवरी, 2018
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	— ” —	22 मार्च, 2018	23 फरवरी, 2018	24 फरवरी, 2018
पर्यावरण	— ” —			
गृह	गृह मंत्री			
परिवहन	— ” —			
*तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा			

बर्ग-4				
पंचायत और ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री			
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	— ” —			
वन	वन मंत्री			
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	— ” —			
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री	08 मार्च, 2018	08 फरवरी, 2018	09 फरवरी, 2018
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	— ” —	15 मार्च, 2018	15 फरवरी, 2018	16 फरवरी, 2018
खनिज साधन	खनिज साधन मंत्री	23 मार्च, 2018	25 फरवरी, 2018	26 फरवरी, 2018
*उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	— ” —			
प्रवासी भारतीय	— ” —			
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री			
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री			
लोक सेवा प्रबंधन	— ” —			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-5				
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री			
संसदीय कार्य	— ”—			
जनसंपर्क	— ”—			
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री			
आयुष	— ”—	09 मार्च, 2018	08 फरवरी, 2018	09 फरवरी, 2018
चिकित्सा शिक्षा	राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा	16 मार्च, 2018	18 फरवरी, 2018	19 फरवरी, 2018
संस्कृति	राज्यमंत्री, संस्कृति	26 मार्च, 2018	27 फरवरी, 2018	28 फरवरी, 2018
पर्यटन	— ”—			
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग			
विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्द्ध घुमकड़	— ”—			
जाति कल्याण				

भोपाल :
दिनांक : 22 जनवरी, 2018.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट.—

- कृपया प्रश्न यथासमय टंकित कराकर देवें। साथ ही वर्ग, प्रश्न पूछने की बैठक का दिनांक, विभाग का नाम, विषय, “श्री” में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम, संबंधित मंत्री का पदनाम, सदस्य के हस्ताक्षर, क्षेत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के साथ ही प्रश्न को आवश्यकतानुसार क, ख, ग, घ इत्यादि भागों में विभक्त करने का कष्ट करें।
- कृपया उपर्युक्त प्रारूप अनुसार प्रश्नों की सूचना विधान सभा सचिवालय द्वारा मुद्रित प्रपत्र में ही दें।
- विवरण के स्तम्भ (3) से (5) में उल्लेखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होंगी।
- ऑफलाईन सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में 11:00 बजे दिन से 4:30 बजे दिन के बीच ही प्राप्त की जावेंगी तथा ऑफलाईन सूचनाएं स्तम्भ (4) में उल्लेखित दिनांक को रात्रि 12:00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी।
- *मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 01, दिनांक 01 जनवरी, 2018 के द्वारा “वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार” का नाम परिवर्तित कर “उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन” तथा “तकनीकी शिक्षा एवं कौशल” के स्थान पर “तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार” किया गया।